न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 33/2021 (RCMS : 2021/ 102) अनवान 1. विरेन्द्र सिंह उम्र 34 वर्ष पुत्र दलपत सिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा हाउस, त्रिपति अपार्टमैन्ट के प्रीछे, बंगलानगर, गजनेर रोड़, बीकानेर जिला बीकानेर 2 **राजेश कंवर** उम्र 63 वर्ष पत्नी दलपत सिंह जाति राजपूत निवासी दीपपुरा हउस, त्रिपति अपार्टमैन्ट के पीछे, बंगलानगर,गजनेर रोड़, बीकानरे, जिला बीकानेर **बनाम** 1. **अरविन्द सिंह** उम्र 42 वर्ष पुत्र दलपत सिंह जाति राजपूत निवासी खासा कोठी, जयपुर जिला जयपुर कार्यस्थल राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, अजमेरी पुलिया के पास, जयपुर। 2. **उप पंजीयक, अनूपगढ** जिला श्रीगंगानगर 3. **तहसीलदार, राजस्व अनूपगढ** 4. **सुनीता छाबड़ा पत्नी केवल कृष्ण** जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नं.. 7, आदर्श कॉलोनी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.10.2021

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री भारत भूषण नागपाल एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के अधिवक्ता श्री राजेश गुम्बर उपस्थित है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अधिवक्ता ने उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के विरूद्ध पेश की थी, परन्तु अब उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए इस प्रार्थना पत्र को इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है उनके प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी के स्थानान्तरण होने के कारण खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नहीं है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया व पाया कि यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 42/2021 मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 43/2021 अनवानी विरेन्द्र सिंह आदि बनाम अरविन्द सिंह अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 235

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:24:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और नये पीठासन अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण भी कर लिया गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। **प्रकरण को इसी आधार पर** खारिज करने में प्रार्थी के अधिवक्ता को भी कोई एतराज नहीं है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.12.20 12:24:58 IST
Reason: SelfAttested